FAMILY LAW (MUSLIM LAW) - UNIT -04

हिबा (दान)

परिभाषा –

मुल्ला के अनुसार –

हिबा या दान सम्पत्ति का ऐसा तुरन्त प्रभावी होने वाला अन्तरण है जो बिना किसी विनिमय के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के पक्ष में किया जाये और इस दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाये।

अमीर अली के अनुसार –

हिबा बिना प्रतिफल के स्वैच्छिक एक अन्तरण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को या किसी वस्तु के तत्व को दूसरे को इस तरीके से देता है कि इसका उसका स्वामी बन जाये।

विधि ग्रंथ हेदाया के अनुसार–

हिबा किसी वर्तमान सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रतिफल रहित एंव बिना शर्त के किया गया तुरन्त प्रभावी होने वाला अन्तरण है।

आवश्यक शर्ते –

मुस्लिम विधि में दान के विधिमान्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तो का पालन अनिवार्य है–

01. दाता सक्षम होना चाहिए / द्योषणा होनी चाहिए
02. दान ग्रहीता सक्षम हो /स्वीकृति
03. कब्जे का परिदान

01. दान की द्योषणा –

सक्षम दाता की तरफ से दान की द्योषणा होनी चाहिए जो लिखित या मौखिक हो सकती है। वयस्कता की उम्र हिबा के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, यदि नाबालिग का न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त है तो वयस्कता की आयु 21 वर्ष होगी। दाता का स्वस्थचित होना चाहिए तथा उसका दान स्वतंत्र इच्छा द्वारा होना चाहिए अर्थात दुर्व्यपदेशन, उत्पीड़न , असम्यक असर , कपट आदि के प्रभाव में न दिया गया हो। दाता जिसका दान कर रहा है वह उसका स्वामी होना चाहिए।

दान ग्रहीता द्वारा स्वीकृति –

जो व्यक्ति दान ले रहा है उस पर उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति दान ग्रहीता हो सकता है धर्म, आयु, लिंग इत्यादि दान लने में बाधक नही होते है अर्थात गैर मुस्लिम भी सक्षम दानग्रहीत होते है, यहॉ तक कि दान की तारीख से 06 महीने के अंदर जन्म लेने वाले व्यक्ति सक्षम दानग्रहीता माने जाते है। अवयस्क या विकृतचित को दिया गया दान भी मान्य होता है यदि अवयस्क के संरक्षक उसे स्वीकार कर लें।

3. कब्जा देना –

दाता, द्वारा दानग्रहीता को उस वस्तु पर कब्जा दिया जाना अनिवार्य है, बिना कब्जे का दान अमान्य होता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में कब्जे का परिदान आवश्यक नही है–

1. जब दाता और दानग्रहीता एक ही मकान में रहते हों।
2. पति–पत्नी का एक दूसरे को दिया गया दान।
3. संरक्षक द्वारा प्रतिपात्य को दिया गया दान।
4. जब दान की वस्तु स्वंय दानग्रहीता के कब्जे में हो।

दान हिबा की विषयवस्तु –

कोई भी सम्पत्ति ही हिबा की विषय वस्तु बन सकती है चाहे वह चल, अचल, मूर्त या अमूर्त किसी भी प्रकार की हो वह दान के समय आस्तित्व में होनी चाहिए और दाता का उस पर स्वामित्व के साथ अन्तरण योग्य सम्पत्ति होनी चाहिए।

बीबी रियाजन खातून बनाम सदरूल आलम AIR 1996 Pat.150 निर्धारित किया गया कि दान के लिए दान की द्योषणा के साथ–साथ दाता का स्वामित्व का अन्तरण, कब्जे का अन्तरण तथा दानग्रहीता का उसे स्वीकार किया जाना अनिवार्य है।

हेसाबुद्दीन बनाम हेसारूद्दीन AIR 1984 Gaunati –

निर्धारित किया गया कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान लिखित व रजिस्टर्ड किया जाना आवश्यक नही है।

UNIT –IV

<u>हिबा/दान के प्रकार</u> – निम्नलिखित प्रकार है–

01. हिबा – बिल –एवज
02. हिबा–ब–शर्तुल–एवज
03. सदका
04. अरियत

01. <u>हिबा – बिल –एवज –</u>

यह एक विशिष्ट प्रकार का दान होता है जिसके बदले प्रतिफल दिया जाता है , अर्थात किसी वस्तु के एवज में किया गया दान हिबा–बिल एवज कहा जाता है।

नमाज की चटाई, कुरान की पुस्तक हिबा–बिल–एवज के लिए प्रर्याप्त प्रतिफल माना जाता है।

मो0 फैज अहमद खॉ बनाम गुलाम अहमद खॉ (1881) 3 All 490

इस वाद में A,B दो मुस्लिम भाई थे जो सहभोगी थे, Aकी मृत्यु पर उसकी पत्नी H को B ने एक विलेख लिखा जिसमें दो गॉव H को दे दिये बदले में B को H ने मृतक की सभी सम्पत्ति दे दी, निर्णित हुआ कि यह हिबा –बिल एवज के रूप में मान्य था भले ही कब्जे का परिदान नही हुआ था, क्योंकि इसमें प्रतिफल अनिवार्य है लेकिन वह प्रर्याप्त हो जरूरी नही है।

02. <u>हिबा–ब–शर्तुल–एवज</u> –

जब दान किसी शर्त के साथ दिया जाता है और दान किसी प्रतिफल के बदले में होता है तो उसे हिबा–ब–शर्तुल–एवज कहते है; इसके अंतर्गत दानग्रहीता को हिबा के बदले हिबा तो करता ही है साथ में कोई शर्ते भी आवश्यक रूप से जुड़ी होती है।

अर्थात् प्रतिफल दे दिया जाता है तो दान विक्रय का रूप धारण कर लेता है, सामान्य हिबा की तरह इसमें कब्जे का परिदान किया जाना जरूरी होता है।

शर्त पालन के पहले दान को वापिस लिया जा सकता है , लेकिन शर्त के पूरा होते ही दान अप्रतिसहरणीय बन जाता है।

यदि किसी पक्षकार द्वारा दी गयी वस्तु खराब हो तो वापसी की मॉग की जा सकती है। इसमें पूर्वक्रयाधिकार का नियम लागू होता है।

03. सदका :–

सदका शब्द से अभिप्राय खैराती कार्य से है, मुस्लिम विधि में खैराती उद्देश्यों के लिए किये गये दान को सदका कहते है। इसमें कब्जे का परिदान आवश्यक होता है, और

विभाज्य सम्पत्ति के अविभाजित भाग का सदका विधिमान्य नही होता है, कब्जे के परिदान के पूर्ण इसका प्रतिसंहरण हो सकता है किन्तु कब्जे के परिदान के बाद अप्रतिसंहरणीय हो जाता है।

04. <u>अरियत</u> –

एक निशिचत अवधि के लिए किसी सम्पत्ति के लाभांश के प्रयोग का अधिकार अरियत कहलाता है, इसकी मुख्य्य विशेषता यह है कि इस प्रकार का दान किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, इसमें सम्पत्ति के स्वामित्व का अंतरण नही होता है, दानग्रहीता की मृत्यु के बाद इस प्रकार के दान द्वारा प्राप्त सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को न जाकर दाता के उत्तराधिकारियों या नामित व्यक्ति को मिलती है। अतः यह एक निर्धारित समय के लिए दिया गया होता है।

<u>मुशा का दान –</u>

मुशा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा शूयूम से हुयी है, जिसका तात्पर्य सम्पत्ति में अविभाजित हिस्से से होता है, अर्थात् कई व्यक्तियों की अविभाजित सम्पत्ति को मुशा कहते है और उसे जब बिना विभक्त किये दान किया जाता है तो उसे मुशा का दान कहते है।

कासिम हुसैन बनाम शरीफुन्निसा (1883) 5 All 283

इस वाद में एक व्यक्ति द्वारा अपने मकान का दान किया गया था जो उसने उस जीने (सीढ़ी) का भी दान कर दिया जो पड़ोसी के साथ संयुक्त रूप से थी । निर्णित हुआ कि दान विधिमान्य था क्यों कि सीढ़ी का दान अविभाजित है अतः यह अविभाजित मुशा का दान था।

<u>दान कब रद्द किया जा सकता है–</u>

01. <u>कब्जा देने के पूर्व –</u>

दान दाता द्वारा कब्जा देने के पूर्व कभी भी रद्द किया जा सकता है क्योंकि कब्जा देने के पूर्ण दान पूर्ण नही होता है।

02. <u>कब्जा देने के पश्चात् –</u>

सुन्नी विधि में समान्यतः कब्जा देने के बाद भी दानग्रहीता की सम्मति अथवा न्यायालय की डिक्री द्वारा रद्द किये जा सकते है।

शिया विधि में पूर्णकृत दान भी बिना न्यायालय की अनुमति या दानग्रहीता की सहमति से रद्द हो सकता है।

यदि दान किसी मुस्लिम ने गैर मुस्लिम को किया हो तो हिबा रद्द करने में मुस्लिम वैयक्तिक विधि का ही प्रयोग होगा।

कब रद्द नही होगा –

1. जब दाता की मृत्यु हो जाये (उसके उत्तराधिकारी दान रद्द नही करा सकते हैं)
2. जब दानग्रहीता की मृत्यु हो जाये।
3. दाता व दानग्रहीता वर्जित डिक्री में आते हो।
4. दान पति द्वारा पत्नी या पत्नी द्वारा पति को किया गया हो।
5. जब सम्पत्ति खो गयी हो, नष्ट हो गयी हो, पहचानी न जा सके (गेहूॅ से आटा)
6. जब दाता ने दान के बदले में कोई वस्तु प्राप्त की हो।
7. जब दान का उद्देश्य धार्मिक हो (सदका)।

वसीयत –

हेदाया के अनुसार – वसीयत का आशय सम्पत्ति के ऐसे दान से है जो मृत्यु के बाद प्रभावी हो, मानों की एक व्यक्ति दूसरे से यह कहे कि मेरे इस सम्पत्ति को मेरी मृत्यु के पश्चात् अमुक व्यक्ति को दे दो।

आवश्यक शर्ते –

01. वसीयतकर्ता सक्षम हो–

कोई मुस्लिम जो वसीयत करने के लिए सक्षम हो अर्थात वह वयस्क व स्वस्थचित हो, उम्र 18 वर्ष हो , न्यायालय संरक्षक नियुक्त किया है तो उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वसीयत करने का अधिकार रखता हो।

02. वसीयतदार सक्षम हो –

कोई मुसलमान जो सम्पत्ति धारण करने में सक्षम हो वसीयत ग्रहण करने के लिए सक्षम माना जाता है, चाहे वह किसी धर्म , आयु या लिंग का हो।

किसी संस्था, गैर मुस्लिम , मस्जिद और खैराती कार्यो के लिए स्थापित व्यास के पक्ष में की गयी वसीयत विधिमान्य होती है, वशर्ते की 1/3 सीमा के अन्दर की गयी हो।

गर्भस्थ शिशु के पक्ष में की गयी वसीयत विधिमान्य होगी यदि शिशु जीवित पैदा हो तथा वसीयत की तिथि से शिया विधि में 10 माह व सुन्नी विधि में 06 माह के भीतर जन्म हो जाना चाहिए।

03. सम्पत्ति वसीयत योग्य हो –

सम्पत्ति वसीयत किये जाने योग्य होनी चाहिए वह सम्पत्ति अन्तरणीय हो और वसीयकर्ता की मृत्यु के समय वसीयत की गयी सम्पत्ति आस्तित्व में आ चुकी हो , भले ही वसीयत के सयय आस्तित्व में न रही हो।

04. औपचारिकता –

वसीयत लिखित या मौखिक हो सकती है। भारतीय उत्तराधिकार के प्राविधान वसीयत पर लागू नही होता है।

यदि वसीयत मौखिक हो तो वसीयत करने वाले की इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए। बोलने में अस्मर्थ भी इशारों द्वारा वसीयत कर सकता है।

लिखित वसीयत अप्रमाणित या बिना हस्ताक्षर के भी हो सकती है।

मजहर हुसैन बनाम बोधा बीवी (1898) 21 All 91

निर्णित हुआ कि मृत्यु के पूर्व लिखा गया पत्र एक मान्य वसीयत थी

वसीयत संबधी शक्तियों की सीमाएँ –

किसी मुस्लिम का दान करने का अधिकार असीमित नही है, दो तरह से सीमित किया जा सकता है–

01. व्यक्ति संबधी सीमायें –

क. उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत –

कोई मुस्लिम अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत नही कर सकता है भले ही उसने एक तिहाई सम्पत्ति की वसीयत की हो अमान्य होगी।

सुन्नी विधि – किसी सुन्नी मुसलमान ने अपने उत्तराधिकारी को सम्पत्ति वसीयत की हो वह तब तक अमान्य होगी जब तक उसके अन्य उत्तराधिकारियों ने सहमति (मृत्यु के पूर्व) न दे दी हो, चाहे सम्पत्ति का 1/3 भाग ही वसीयत क्यो न की हो वहाँ भी अमान्य होगी।

शिया विधि – कोई मुसलमान जो शिया है अपने उत्तराधिकारी को कुल सम्पत्ति का 1/3 भाग बिना अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति से कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा की सम्पत्ति पर अन्य उत्तराधिकारियों से सहमति लेनी पड़ेगी।

ख. उत्तराधिकारी तथा अजनबी के पक्ष में वसीयत –

सुन्नी विधि के अंतर्गत वसीयत एक उत्तराधिकारी और उसके साथ एक अजनबी को की गयी है तो उत्तराधिकारी की वसीयत अमान्य होगी क्योंकि अन्य उत्तराधिकारियों से सहमति नही ली गयी है, जब कि अजनबी को वसीयत 1/3 भाग तक मान्य होगी। शिया विधि मे दोनों को वलीयत मान्य होगी यदि वसीयत कुल सम्पत्ति का 1/3 भाग तक की गयी हो।

ग. अजन्में व्यक्ति के पक्ष में वसीयत –

सुन्नी विधि के अनुसार यदि गर्भ के बच्चे के पक्ष में वसीयत है और वह वसीयत की तारीख से 06 माह के अन्दर पैदा हो जाता है , वसीयत मान्य हो जाता है अन्यथा नही।

शिया विधि के अनुसार 06 माह बाद भी पैदा होता है तो भी वसीयत मान्य होगी।

घ. **वसीयतकर्ता के हत्यारे के पक्ष में वसीयत –**

सुन्नी विधि के अनुसार उस व्यक्ति को वसीयत यदि उसने वसीयतकर्ता की जानबूझकर , लापरवाही से या दुर्घटनावस मृत्यु कारित करता है तो वहाँ उसकी वसीयत अमान्य होगी।

सुन्नी विधि में वसीयत तभी अमान्य होगी यदि हत्या जानबूझकर की गयी हो।

02. <u>सम्पत्ति संबधी सीमाएँः–</u>

कोई मुसलमान अपनी सम्पत्ति का बिना उत्तराधिकारियों के अनुमति से 1/3 भाग को वसीयत कर सकता है। सम्पत्ति का एक–तिहाई कुल सम्पत्ति में से अच्योत्ति दाह संस्कार का खर्च तथा उसका ऋण निकाल कर समझना चाहिए।

- वसीयत किसी भी सम्पत्ति की हो सकती है जो अन्तरण करने योग्य हो भविष्य में वसीयत करने का वचन निषप्रभावी होता है।
- वसीयत में कोई शर्त लगी हो तो वह शर्त अमान्य होगी , वसीयत मान्य होगी।

वसीयतों की सम्पदा में कमी –

सुन्नी विधि के अन्तर्गत 1/3 से अधिक की वसीयत में उत्तराधिकारियों की सहमति न होने पर वसीयत के अंतर्गत निर्धारित प्रत्येक वसीयतदार के हिस्से की कटौती हो जाती है। उनके हिस्सों को कटौती इस प्रकार से की जाती है, कि प्रत्येक हिस्से का कुल योग 1/3 से अधिक न होने पाये।

उदा0–

क एक सुन्नी मुसलमान अपनी आधी सम्पत्ति का वसीयत ख को कर देता है ख , क का उत्तराधिकारी नही है और उत्तराधिकारीगण अपनी सहमति नही देते है, वहॉ ख को आधी सम्पत्ति की बजाय 1/3 भाग ही प्राप्त होगा।

उदा0 –

A ने अपनी सम्पत्ति 01 लाख 80 हजार को , X Y Z को दी वसीयत द्वारा जो क्रमशः 1/2, 1/4 व 1/4 भाग के रूप में है, यहॉ , X Y Z उसके उत्तराधिकारी नही है अतः वह केवल 1/3 भाग अर्थात 1 लाख 80 हजार का 1/3 जो 60 हजार होगी ही दे सकता है, वहॉ सबके हिस्से से एक अनुपात में कटौती होगी–

X का भाग – ½ x 18000 x 1/3 = 30000
Y का भाग – ¼ x 18000 x 1/3 = 15000
Z का भाग – ¼ x 18000 x 1/3 = 15000

अतः X,Y,व Z क्रमशः 30000, 15000 व 15000 से अधिक की सम्पत्ति नही प्राप्त कर सकते है।

शिया विधि – शिया विधि सामानुपातिक विभाजन को मान्यता नही देती है, इस स्थिति में जिसको सर्वप्रथम वसीयत की गयी होगी उसी को केवल 1/3 भाग तक वसीयत मिलेगी यदि कुछ उसके बाद बचता है तो दूसरे नम्बर के रिक्थग्राही को वरीयता दी जायेगी, इसी प्रकार क्रम बढेगा ।

उदा0 – **क ने अपनी सम्पति 1/3 ख को 1/4 ग को तथा 1/6 घ को करता है उस स्थिति** (उत्तराधिकारी सहमति न दिये हो) **में केवल ख को 1/3 भाग मिल जायेगा ग व घ बाहर होगें । यदि वह ख को 1/4 भाग करता तो ,ग को हिस्सा मिलता 1/3–1/4=1/12 भाग**

वसीयत का प्रतिसंहरण –

वसीयतकर्ता मृत्यु से पूर्व कभी भी वसीयत को विखण्डित कर सकता है, यदि कोई वसीयत कर्ता ऐसा विलेख निष्पादित करें जिसका विखण्डन नही हो सकता तो ऐसा विलेख वसीयत की श्रेणी में नही आयेगा।

वसीयतकर्ता मृत्यु के पहले चाहे जितनी बार वसीयत करे उसकी अंतिम वसीयत ही विधिमान्य होगी।

उदा0 – क ने वसीयत 03 मार्च 2018 को ख के पक्ष में की फिर 04 अप्रैल 2018 को ग के पक्ष में कर दी , पुन 10 मई 2018 को ही घ के पक्ष में कर दी और उसकी मृत्यु 15 मई 2018 को हो गयी। वहॉ वसीयत केवल घ प्राप्त करेगा।

- यदि वसीयतकर्ता ने किसी शर्त के साथ वसीयत की है कि वह उसे नही बेचेगा तो ऐसी शर्त शून्य होगी और यदि वसीयत कर्ता यह उल्लेख करता है वह उसकी आखरी वसीयत है और वह अन्य नही कोई वसीयत करेगा तो ऐसी स्थिति अमान्य होगी और वह पुनः वसीयत कर सकेगा।
- वसीयत का प्रतिसंहण वसीयत को फाड़कर , जलाकर भी किया जा सकता है।
- यदि वसीयत की सम्पत्ति पाने वाला वसीयतकर्ता के पूर्व ही मर जाता है तो सुन्नी विधि में वसीयत समाप्त हो जाती है और सम्पत्ति वापस वसीयतकर्ता को मिल जाती है। लेकिन शिया विधि मे वसीयत समाप्त नही होती है बल्कि वसीयतदार के उत्तराधिकारियों को चली जाती है।

हक शुफा / पूर्व क्रयाधिकार –

शुफा का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। जब दो व्यक्तियों के बीच अचल सम्पत्ति का विक्रय हो चुका हो तो तीसरा व्यक्ति उसमें खुद खरीददार (उसी मूल्य पर) होने का दावा कर सकता है जिसे शुफा का अग्रक्रयाधिकार कहते हैं।

हेदाया के अनुसार –

पूर्ण क्रयाधिकार से आशय बेची गयी भूमियों का उतने मूल्य पर स्वामी हो जाना जितने में क्रेता ने उसे खरीदा हो, चाहे भले ही वह उसे न देना चाहता हो।

आवश्यक तत्व –

01. शफी को (दावाकर्ता) अचल सम्पत्ति का स्वामी होना चाहिए।
02. शफी (दावाकर्ता) की अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य सम्पत्ति का विक्रय होना चाहिए।
03. बेची जाने वाली सम्पत्ति को बेचने वाला तथा शफी के बीच उस सम्पत्ति से सम्बंद्ध एक सम्बंद्ध होना चाहिए।
04. शफी ऐसी सम्पत्ति को उसी कीमत पर और उन्ही शर्तो के अधीन प्राप्त करने का हकदार है जिस कीमत पर और जिन शर्तो के अन्तर्गत वह क्रेता द्वारा खरीदी गयी हो।
05. शुफा का अधिकार एक विशेषाधिकार है जो किसी अचल सम्पत्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए उपलब्ध होता है।
06. विक्रेता मुसलमान व शफी भी मुसलमान होना चाहिए। क्रेता के सम्बंद्ध में न्यायालयों के अलग–02 मत है, कलकत्ता, बम्बई उच्च न्यायालयों के अनुसार क्रेता मुसलमान होना चाहिए लेकिन पटना, इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के अनुसार क्रेता पर धर्म की बाध्यता नही है।

हक शुफा के अधिकार का वर्गीकरण –

हक शुफा के अधिकार का तीन वर्ग है–

01. **शुफा–ए–शरीक –**

एक ही पूर्वज के उत्तराधिगण आपस में सह–भागीदार कहलातें हैं और आपस में शुफा का अधिकार शुफा –ए–शरीक कहलाता है।

उदा0 – क व ख दोनो भाई है जो अपने पिता की मृत्यु पर खेत च प्राप्त करते है, क ,च खेत का आधा भाग छ को बेच देता है तो उसी मूल्य पर ख शुफा का दावा कर सकता है कि वह खेत ख को बेचे।

02. शुफा –ए– खलित :–

खलीत का अर्थ है मिला–जुला। इसके अतंर्गत मार्ग का अधिकार, जल निस्तारण का अधिकार आता है जिसे शुफा का अधिकार कहा जाता है यह सुखाधिकार की भॉति होता है लेकिन सुश्खाधिकार नही है, इसमे बिजली , हवा का अधिकार नही आता है।

03. शफी–ए–जार :–

इसका अर्थ है पड़ोस की अचल सम्पत्ति का स्वामी। अर्थात पड़ोस की सम्पत्ति का दावा किया जाता है लेकिन यह शुफा का अधिकार बड़ी सम्पत्तियों पर लागू नही होता है अर्थात यह जमीदारी, गॉव जैसी बड़ी अचल सम्पत्ति पर लागू नही होता है।

विभिन्न वर्ग के पूर्वक्रयाधिकारियों के न होने पर प्रथम वर्ग का पूर्वक्रयाधिकारी द्वितीय वर्ग को और द्वितीय वर्ग का पूर्णक्रयाधिकारी तृतीय वर्ग को अपवर्जित करता है। किन्तु एक वर्ग में यदि अधिक दावेदार है तो दावेदार समान अंशों में शुफा के हकदार होगें।

पूर्व क्रयाधिकार की औपचारिकता –

पूर्व क्रयाधिकार एक तकनीकी विधि है जो इसकी औपचारिकता पर निर्भर करता है कि उसका अनुपालन किया जाय। यह अनुष्ठान तीन तलब (मॉग) के रूप मे होता है–

01. प्रथम मॉग –

इस नियम के अन्तर्गत शफी को सम्पत्ति के विक्रय की जैसे ही सूचना मिले उसे बिना किसी तुरन्त मॉग कर देना चाहिए। केवल उसे इतना कहना होगा कि वह विक्रीत सम्पत्ति पर पूर्णक्रयाधिकार का दावा करता है, तो यह प्रर्याप्त होगा।

यदि शफी प्रथम मॉग तत्काल नही करता है तो वह पूर्ण क्रयाधिकार को खो देगा।

- इरफान खॉ बनाम जब्बर मिच (1884) 10. cal 383

वादी जब घर आया पत्नी द्वारा उसे सूचना मिली कि जमीन बिक चुकी है उसनें अपने घर से अपने दस्तावेज , पैसे तलाशने शुरू किये और गवाहो को बुलाया और प्रथम मॉग की इतना करने में उसे 12 घण्टे का समय लग गया। निर्णित हुआ कि वह पूर्ण क्रयाधिकार का हकदार नही है क्योंकि उसने अनावश्यक 12 घण्टे लगा दिये थे।

राजेन्द्र कुमार बनाम रामेश्वर दास **AIR 1981 All 391**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि शुफा का अधिकार एक कमजोर अधिकार है इसको विफल करने के लिए वैद्य उपाय किये जा सकते हैं।

02. दूसरी मॉग :–

प्रथम मॉग के तत्काल बाद बिना किसी विलम्ब के पूर्वक्रयाधिकार के लिए दूसरी मॉग की जानी चाहिए जो दावाकृत सम्पत्ति पर या केता या विकेता की उपस्थिति में साथ ही दो गवाहों के साथ की जानी चाहिए।

यदि शफी स्वंय मौजूद न हो तो अभिकर्ता या पल द्वारा भी मॉग कर सकता है।

यदि केता या विकेता एक से अधिक हो और मॉग शुफा सम्बंधी सम्पत्ति पर छुते हुए न की गयी हो तो उस स्थिति में सभी विकेताओं के समक्ष मॉग की जानी चाहिए अन्यथा उन्ही विकेताओं पर लागू हो जिनसे मांग की गयी थी।

यदि शफी एक से ज्यादा हो तो सभी के द्वारा मॉग की जानी चाहिए अन्यथा द्वितीय मॉग उन्ही की स्वीकारी जायेगी जिससे मॉग की थी।

03. तीसरी मॉग :–

तीसरी मॉग वास्तविक रूप से कोई मॉग नही है वरन् कानूनी कार्यवाही करना है। कानूनी कार्यवाही सदा आवश्यक भी नही होती है। इसकी आवाश्यकता तब पड़ती है जब शफी की पिछली दोनों मॉगो को स्वीकार नही किया जाता है।